न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 44 / 16 **निर्णय दिनांक 10.08.2018**

1.	बस्तीराम	पुत्रगण मेऊराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, दाऊली मंदिर के पास, बीकानेर।
2.	द्वारकाप्रसाद	
3.	हरिराम	
4.	सीताराम	
5.	सोहनलाल	
6.	रामेश्वरलाल	

7. जेठाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, दाऊजी मंदिर के पास, बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. पुष्पा पत्नी शंकरलाल पत्नी उदाराम कुम्हार निवासी कानासर हाल चौखुंटी रोड़, बीकानेर।
2. पदमा उर्फ धूड़ी पत्नी बाबू खॉ जाति भुट्टा बेवा उदा जाति कुम्हार साकिन सुभाषपुरा लाल क्वार्टर के पास, बीकानेर।
3. अर्जुनराम पुत्र लाधुराम जाति कुम्हार साकिन कानासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. रोहणी कुमारी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 138, गांधी नगर, बीकानेर।
5. सुरेश कंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी यूआईटी क्वार्टर नं. 22, इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन(प्रथम), बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहाक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2000 जिसके द्वारा विधि तरीके से दावा डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रस्तुत प्रकरण प्रथम अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2008 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार हस्तान्नकरण के पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है। उक्त अपील पूर्व में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 29—06—2010 को स्वीकार की गई थी जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 09—09—2010 को स्वीकार की जाकर पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि प्रकरण आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानो को दृष्टिगत् रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि वादगत् भूमि मौजारोही कानासर के खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 44.12 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26—07—1962 से अपीलांटान के पूर्वज ने तत्कालीन खातेदार पदमा बेवा उदा से पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की गई थी। जब से लगातार आज दिनांक तक अपीलांटान के पूर्व अपने जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांटान के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है।

वर्ष 1998 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुष्पा ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत

किया कि वादगत् भूमि उसके दादा केसरा के नाम थी तथा केसरा ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री राधा को अन्य खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 29.03 बीघा मौजारोही कानासर में अलग से दे दिया गया था। केसरा के अन्य वारिसान उदा की मृत्यु के पश्चात् वादगत् भूमि पदमा के नाम अकेले दर्ज हो गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुष्पा का भी वादगत् भूमि पर 1/ हिस्सा निहित है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन विवादित भूमि पुश्तैनी है जो उसके दादा द्वारा उसके पिता के हिस्से में आई थी। जिसको साबित करने का भार वादी पर था।

जिस पर अदालत मातहत द्वारा मात्र एक दस्तावेज मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 के अनुसार वादगत् भूमि केसरा पुत्र मदा कुम्हार की है जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी होनी पाई जाती है। जबकि अपीलांटान ने अपने जवाब में वादगत् भूमि को पुश्तैनी होने से इंकार किया है क्योंकि स्व. केसरा व उदा के स्वर्गवास वर्ष 1955 से पूर्व से जाने के कारण तत्कालीन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ना तो मु. राधा का वादगत् भूमि में कोई हिस्सा थ ना ही पुष्पा का वादगत् भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा था।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व यदि खातेदार का देहान्त हो जाता है तो उसके पुरूष उत्तराधिकारियों में ही वादगत् भूमि निहित होती है। चूंकि उदा के पुरूष उत्तराधिकारी पूनम का देहान्त अपने पिता से पूर्व ही होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है, इसी प्रकार पदमा द्वारा कथन किया गया है कि मुझे विधवा हुए सात वर्ष हो चुके है। इस प्रकार केसरा व उदा का देहावसान वर्ष 1955 से पूर्व हो चुका था। इस प्रकार उक्त प्रकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 से शासित होगा जिसके अनुसार पुत्रियों को खातेदार की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा संवत् 2005 की मिसल बन्दोबस्त को आधार बनाकर वादगत् भूमि पुश्तैनी होना सिद्व माननें में कानूनी गलती कारित की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन विवादित भूमि पर उसका कब्जा उसी समय से चला आ रहा है, उक्त तनकी अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ तय की गई है तथा माना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में जहॉ वादगत् भूमि पर कब्जा ना हो वहॉ धोषणात्मक वाद नहीं चल सकता। अदालत मातहत द्वारा अपने स्वयं के विवेचन के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम गलत दर्ज करवाई है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी भी अपना हिस्सा पाने की अधिकारिणी है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर तय की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा यह मान लिया गया है कि वादगत् भूमि केसरा के नाम थी इसलिए पुष्पा का भी 1/2 हिस्सा बनता है। जबकि कानून की यह स्थिति है कि धारा 6 के अनुसार वर्ष 2005 से पूर्व सहदायिकी की सम्पतियों में पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नहीं था। यदि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट पुष्पा का हक व हिस्सा मान भी लिया जावे तब भी कुल सम्पति पर उसका 1/6 हिस्सा बनता है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट पुष्पा को 1/2 हिस्सा पाने की अधिकारिणी मानने में कानूनी गलती कारित की है। चूंकि स्व. केसरा व स्व. उदा का स्वर्गवास वर्ष 1956 से पूर्व हो चुका था तो पदमा को उक्त सम्पति के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे क्योंकि अधिनियम के प्रारम्भ में पदमा ही एकमात्र वादगत् भूमि की खातेदार व काबिज काश्तकार थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन भूमि पदमा बेवा उदाराम को विधिवत विरासतन प्राप्त हुई थी तथा उसके द्वारा दिनांक 26—07—1962 को विधिवत बेचान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया है, जिस पर उनका कब्जा काश्त उसी समय से चला आ रहा है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था।

अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को इस आधार पर सिद्व होना नहीं माना है कि पुष्पा उदा की पुत्री होना पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का बेचान पदमा द्वारा गलत व विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के दिन से वादगत् भूमि अकेले पुष्पा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त अधिनियम के अनुसार वादगत् भूमि पर पुष्पा का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था। इसलिए अपीलांटान के पूर्वजों को किया गया बेचान दिनांक 26—07—1962 पूर्ण रूप से विधिसम्मत तरीके से किया गया है। उक्त विक्रय के करीब 35 वर्ष उपरान्त यह कहकर दावा लाना कि विक्रय की गई सम्पति में उसका हक व हिस्सा है इसलिए विक्रय पत्र गलत है कतई मानने योग्य कथन नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद पर गलत तरीके से तनकीयात कायम की गई तथा उक्त तनकीयात का विधि विरूद्व तरीके व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर निस्तारण किया गया है। रेस्पोडेन्ट्/वादीनी किसी प्रकार का धोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में यह तथ्य माना है कि वादिनी ने बालिग होने के पश्चात् असाधारण देरी से वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत् भूमि पर वादिनी का कब्जा काश्त सिद्वा होना नहीं पाये जाने के आधार पर अपीलांट की अपील दिनांक 29—06—2010 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2008 विधि सम्मत तरीके से निरस्त किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट् द्वारा विधिवत रूप से जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड से खरीद की गई थी तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया था। वादगत् भूमि के प्रतिफल के रूप में राशि अदा

की गई थी। इस प्रकार टी.पी एक्ट की तमाम धाराओं का पालन किया गया था। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट्स का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तमाम राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2008 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 1090, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 554, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 202 की तादादी 44/12 बीघा भूमि वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा केसरा पुत्र मदा कौम कुम्हार की खातेदारी भूमि थी। केसरा का पुत्र उदा हुआ वादीनी उदा की पुत्री है। केसरा व उदा का स्वर्गवास हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने के बाद हुआ था। वादगत् भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 192 दिनांक 31—05—1962 को अकेले पदमा बेवा उदा के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वादीनी का भी वादगत् भूमि पर 1/2 अविभाजित हिस्सा निहित था। समस्त भूमि अकेली पदमा की माता के नाम दर्ज करने से वादिनी के 1/2 अविभाजित हिस्सा की बाबत् पदमा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

वादगत् भूमि पर वादीनी कानूनन पदमा के साथ—साथ बहिस्सा बराबर की संयुक्त खातेदार होने के बावजुद विरासतन इंतकाल अकेली पदमा के नाम से समस्त भूमि दर्ज करने के पश्चात् पदमा द्वारा सम्पूर्ण भूमि अपीलांट संख्या 1 ता 6 के पिता मेऊ व अपीलांट संख्या 7 को बहिस्सा बराबर विक्रय की दी गई है। जबकि वादगत् भूमि पर वादीनी का 1/2 हिस्सा निहित होने से पदमा को तमाम वादगत् भूमि के विक्रय का कतई अधिकार हासिल नहीं था। इस प्रकार पदमा द्वारा अविभाजित हिस्से का किया गया विक्रय प्रारम्भतः ही शून्य व एब ईनिशियों वाईड विक्रय पत्र है। उससे क्रेता को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि अपने हक व हिस्से की भूमि अर्थात 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट/वादीनी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कानूनन संयुक्त खाते की भूमि पर प्रत्येक सह अंशधारी का का कब्जा माना जाता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे बताया कि वादीनी केसरा की पोती है। ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 44 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 172 तादादी 29 बीघा 3 बिस्वा भूमि केसरा पुत्र उदा की खातेदारी भूमि थी। दोनों भूमियों की केसरा ने अपने जीवन काल में वसीयत करते हुए बंटवारा कर दिया। वसीयत विवादित नहीं है। जिसके अनुसार खेम खसरा नम्बर 202 की भूमि उदा को दी थी तथा खसरा नम्बर 172 की भूमि पुत्री राधा की दी थी। खसरा नम्बर 202 की भूमि पदमा ने प्रतिवादी संख्या 3, 5 को जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड विक्रय कर दी गई। जिसका पदमा को कतई अधिकार हासिल नहीं था। जबकि वादगत् भूमि पर पुष्पा का 1/2 हिस्सा बनता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से तनकीयात् कायम की गई तथा उक्त तनकीयात् का विधि सम्मत तरीके से विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा वादिनी की पुश्तैनी अर्थात उसके दादा केसरा की होनी पाई जाती है। केसरा के देहान्त होने पर उक्त भूमि उसके पुत्र उदा के नाम आनी थी तथा उदा के फौत होने पर उसके वारिस पदमा, पूनम व पुष्पा के अधिकार समान रूप से थे। उदा के पुत्र पुनम के फौत होने पर उक्त भूमि वादिनी व उसकी माता पदमा का हिस्सा 1/2 बनता है। वैसे भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पत्नि, पुत्र व पुत्रियों का सभी का हिस्सा बराबर होता है। वादीनी वादगत् भूमि की सह खातेदार पाई जाती है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विवेक के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की पालना करते हुए व प्रस्तुत वाद में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व उक्त तनकीयात् का

कानूनी दृष्टि से विवेचन करते हुए वादिनी/रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 21—06—2008 यथावत बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 113, आरबीजे 1995 पेज 615, आरआरडी 2006 पेज 837, आरआरडी 1984 एचसी पेज 280, आरआरटी 2014 पार्ट II पोज 965, आरआरडी 2005 पार्ट II पेज 995 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में ग्राम रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वापदपत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 44 बीघा 12 बिस्वा के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि मौजारोही कानासर के खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 44.12 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26—07—1962 से अपीलांटान के पूर्वज ने तत्कालीन खातेदार पदमा बेवा उदा से पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की गई थी। जब से लगातार आज दिनांक तक अपीलांटान के पूर्व अपने जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांटान के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(2) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि केसरा की खातेदारी भूमि रही है। केसरा की वंशावली निम्न प्रकार है।

केसरा

उदा(फौत)		राधा(फौत) अर्जुन (प्रतिवादी संख्या 2)
पदमा उर्फ धुड़ी (प्रतिवादी संख्या 1)	पुनम (कुंवारा फौत)	पुष्पा (पुत्री) वादिनी

उक्त वंशावली के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित होता है कि वादिनी केसरा के पुत्र उदा की पुत्री अर्थात केसरा की पोती है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। **अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन विवादित भूमि पुश्तैनी है जो उसके दादा द्वारा उसके पिता के हिस्से में आई थी।** जिसको साबित करने का भार वादी पर था।

उक्त तनकी के संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड मिसल बन्दोब्स संवत् 2005 के अनुसार वादगत् भूमि केसरा पुत्र मदा कुम्हार की है जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी होनी पाई जाती है। अतः उक्त तनकी वादिनी के हक में सिद्वा होना पाई जाती है।

(4) अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 2 कायम की गई कि **आयाकि वादाधीन विवादित भूमि पर उसका कब्जा उसी समय से चला आ रहा है,** उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त तनकी को सिद्व नहीं पाया गया।

इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा **तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम गलत दर्ज करवाई है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी भी अपना हिस्सा पाने की अधिकारिणी है।**

अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी निर्णित करते हुए माना है कि वादगत् भूमि वादिनी के दादा केसरा के नाम थी, केसरा के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि पदमा बेवा उदा के नाम दर्ज की गई जबकि प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है कि वादिनी कुसरा की पोती है अर्थात उदा की पुत्री है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पुष्पा गलत दर्ज हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादिनी का वादगत् भूमि पर 1/2 हिस्सा होने की अधिकारिणी पाई जाती है।

(5) अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आयाकि वादाधीन भूमि पदमा बेवा उदाराम को विधिवत विरासतन प्राप्त हुई थी तथा उसके द्वारा दिनांक 26—07—1962 को विधिवत बेचान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया गया है, जिस पर उनका कब्जा काश्त उसी समय से चला आ रहा है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था।

अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को इस आधार पर सिद्ध होना नहीं माना है कि पुष्पा उदा की पुत्री होना पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का बेचान पदमा द्वारा गलत व विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। वादगत् भूमि पर वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का विक्रय प्रतिवादी पदमा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से किया जाना साबित है।

(6) प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि केसरा की खातेदारी भूमि थी। वादिनी केसरा की पोती तथा उदा की पुत्री है। वादगत् भूमि केसरा के स्वर्गवास के उपरान्त उदा के नाम दर्ज हुई। उदा की मृत्यु के उपरान्त वादगत् भूमि के जायज वारिसान पदमा, पुनम व पुष्पा के नाम समान रूप से दर्ज होनी चाहिए थी। उदा का पुत्र पुनम फौत होने पर उक्त भूमि वादिनी व उसकी माता पदमा के नाम 1/2 — 1/2 बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। हिन्दु

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पत्नि, पुत्र व पुत्रियों सभी का हिस्सा बराबर होता है। प्रकरण में प्रतिवादी पदमा द्वारा समस्त भूमि का बेचान करने का कतई अधिकार हासिल नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पदमा द्वारा वादिनी के हिस्से तक की भूमि का किया गया बैयनामा प्रारम्भ से ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड साबित होता है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादिनी पुष्पा अर्थात केसरा की पोती व उदा की पुत्री का 1/2 हिस्सा मानते हुए खातेदार काश्तकार धोषित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—06—2008 सहायक आयुक्त उपनिवेशन(प्रथम), बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर